

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक
25.04.2025

निर्णय दिनांक
03-10-2025

प्रकरण संख्या
218/2025

1. बाली पत्नि मागीलाल विश्नोई निवासी बजरंगपुरा, पुर तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)

— प्रार्थीया

बनाम

1. श्री लादूलाल पुत्र सोहन लाल लौहार निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
2. परसा पुत्र मियाला निवासी बलाई ढोलियाखेडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. सुगनचन्द्र पुत्र जोधाराम रजवानिया जाति धोबी निवासी बीलपुर बाया चन्दवाली जिला जयपुर हाल मुकाम बापूनगर भीलवाडा (राज०)
4. खेमसिंह पुत्र सफरसिंह राजपूत, निवासी ढोलियाखेडा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
5. जोरावरसिंह पुत्र सफरसिंह राजपूत, निवासी ढोलियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
6. रामसिंह पुत्र सफर सिंह राजपूत, निवासी ढोलियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
7. रामसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत, निवासी ढोलियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
8. सम्पतसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत, निवासी ढोलियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

— विपक्षीगण

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता प्रार्थीया श्री श्रणव कुमार सेन उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 04 से लगायत 8 उपस्थित नहीं
3. अप्रार्थी संख्या 03 की और से श्री विकास जायसवाल उपस्थित।

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर०एल०आर एक्ट :-

—: निर्णय :-


संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढोलियाखेडा पटवार हल्का भोपालगढ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 420/5 रकबा 1.5048 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडोसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 04 से लगायत 8 उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 03 अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीया की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंनें पत्रावली में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम डोलियाखेडा पटवार हल्का भोपालगढ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 420/5 रकबा 1.5048 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिफेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03-10-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अक्षय कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा